छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल न्यायपीठ

कोरम माननीय श्री फखरुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 641/90

मौजूराम

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

और

दांडिक अपील क्रमांक 280/91

छत्तीसगढ़ राज्य

विरूद्ध

मौजूराम

विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
वि. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

माननीय श्री फखरुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

सहमत

सही /-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

सूचीबद्ध हेतु : दिनाँक 17.11.2005

सही /-
न्यायाधीश
17.11.2005

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल न्यायपीठ

कोरम माननीय श्री फखरुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 641/90

अपीलार्थी: मौजूराम पिता रामदास साहू, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मोखाली, थाना लालबाग, तहसील/ जिला राजनांदगांव, (छःग.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 280/91

अपीलार्थी : - छत्तीसगढ़ राज्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : मौजूराम पिता. रामदास साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम मोखाली, थाना लालबाग, तहसील/जिला राजनांदगांव, (छः ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित

श्री सी.आर. साहू - दांडिक अपील क्रमांक 641/90 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता और दांडिक अपील क्रमांक 280/91 में प्रत्यर्थी ।

श्री आशीष शुक्ला - दांडिक अपील क्रमांक 280/91 में अपीलकर्ता/ राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक और दांडिक अपील क्रमांक 641/90 में प्रत्यर्थी / राज्य के लिए

निर्णय पारित किया गया 17/11/2005

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश द्वारा

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 35/90 में 23/06/1990 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के माध्यम से अभियुक्त मौजूराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया, तथा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। उक्त दोषमुक्ति के आदेश से राज्य ने असंतुष्ट होकर अपील की है तथा अभियुक्त भी दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील में आया है। चूंकि ये दोनों अपीलें एक ही दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, अतः इनकी एक साथ सुनवाई की गई है और इन्हें इस समान निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2) अभियोजन की कहानी, संक्षिप्त में यह है कि इंद्रावती बाई, जो एक विधवा थी, गांव मोखाली में अकेली रहती थी और अपनी आजीविका के लिए मजदूरी का काम करती थी। उसके आरोपी के साथ अवैध संबंध बन गए थे, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। गर्भावस्था के 4-5 माह में उसने यह बात आरोपी को बताई, तब आरोपी उसे राजनांदगांव चलकर गर्भपात कराने का प्रस्ताव दिया। वह उसकी बात मान गई और 30/06/1989 को वह आरोपी के साथ, आरोपी द्वारा चलाई जा रही साइकिल की कैरियर सीट पर बैठकर राजनांदगांव जा रही थी। रास्ते में जब वे एक नाले के पास पहुंचे तो आरोपी ने उसे लेटने के लिए मजबूर किया और फिर नुकीली कील से उसके सीने के सामने और पीछे, गर्दन के पीछे और हाथ पर वार किया। उसे कई चोटें आईं, और जिसके फलस्वरूप उसे बहुत अधिक खून बहने लगा। जब वह खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, तभी एक महिला ने यह घटना देखी। यह देखकर आरोपी उसे घायल अवस्था में छोड़कर अपनी साइकिल से मौके से भाग गया। वह मोखाली गांव आई और गांव की कुछ महिलाओं को घटना के बारे में बताया और फिर पुलिस थाना लालबाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपराध की विवेचना किया था। विवेचना के दौरान इंद्रावती बाई का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराया गया। आरोपी के मेमोरेंडम पर, इंद्रावती बाई के शरीर पर चोट पहुँचाने में प्रयुक्त हथियार बरामद कर जब्त किया गया। इसका भी चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. अग्रवाल द्वारा परीक्षण कराया गया। इंद्रावती बाई की खून से सनी ब्लाउज भी उससे जब्त की गई। चिकित्सा परीक्षण में छाती के आगे और पीछे, नाक के उपरी हिस्से तथा दाहिने कंधे पर विभिन्न चोटें पाई गईं। यह भी पाया गया कि इंद्रावती बाई 4-5 माह की गर्भवती थी। हथियार का परीक्षण करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी

ने यह भी राय दी कि इंद्रावती बाई को आई चोटें जब्त किए गए हथियार से आ सकती हैं। गवाहों का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत लिया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया ।

4) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए, जिसे उसके समक्ष पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, उसने अपराध से इंकार किया और अपने निर्दोष होने का अभिवचन किया ।

5) विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात यह पाया कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असमर्थ रहा, किंतु यह सिद्ध किया कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से इंद्रावती बाई को उपहति कारित की, अतः विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध कर दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) दोनों पक्षों को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7) डॉक्टर एस.के. अग्रवाल (अ.सा./10) ने अपने बयान में कहा कि 30/06/1989 को इंद्रावती बाई का परीक्षण करने पर उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1) छाती के पिछले हिस्से, बाईं ओर इन्ट्रास्कैपुलर क्षेत्र मे 3 फटी हुई चोटें (घोंपने की चोटें), प्रत्येक का आकार 1 सेमी **x ½** सेमी। घाव की गहराई मापी नहीं जा सकी।

2) छाती के सामने और बाईं ओर 4 फटी हुई चोटें (घोंपने की चोटें), आकार 1 सेमी **x ½** सेमी, चोट की गहराई मापी नहीं जा सकी।

3) नाक के उपरी भाग पर एक फटी हुई चोट, आकार 1 सेमी **x ½** सेमी।

4) दाहिने हाथ की कलाई के पास दो फटी हुई चोटें, आकार 1 **½** सेमी **x ½** सेमी। चोटों से रक्तस्राव हो रहा था।

उनके प्रति-परीक्षण से उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया। अतः, उनकी गवाही विश्वसनीय है और उनकी गवाही के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि इंद्रावती बाई के शरीर के सीने के आगे और पीछे विभिन्न छुरा घोंपने की चोटें पाई गईं और अन्य चोटें नाक तथा बांह पर थीं।

8) इंद्रावती बाई (अ. सा./7) ने अपने बयान में कहा है कि उसका आरोपी मौजूराम के साथ अवैध संबंध था और उसके कारण वह गर्भवती हो गई। वह गर्भवती होने वाली बात जब उसने आरोपी को बताया कि वह 4-5 महीने की गर्भवती है, तो आरोपी ने उसे सुझाव दिया कि वह उसके साथ राजनांदगांव चले, जहां वह उसका सही इलाज करवाएगा। तब वह आरोपी के साथ, आरोपी की साइकिल के कैरियर पर बैठकर, राजनांदगांव के लिए रवाना हुई। रास्ते में बोथीपारा पुलिया के पास, आरोपी ने उसे लेटने के लिए कहा। मना करने पर, आरोपी ने उसे उठाया और कुम्हालौरी के पास ले गया, जहां उसने उसे नीचे गिराया और लोहे की छड़ से उसकी छाती, गर्दन और हाथ पर कई चोटें पहुंचाईं। जब आरोपी ने उस पर हमला किया, तो उसने चिल्लाया, इसलिए आरोपी उसे वहीं छोड़कर अपनी साइकिल से भाग गया। यद्यपि उसका लंबी प्रति परीक्षण किया गया, लेकिन जहां तक इंद्रावती बाई के शरीर पर आरोपी द्वारा चोट पहुँचाने का सवाल है, उसके प्रति परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे उसकी गवाही को अविश्वसनीय ठहराया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) सुखितराम (अ.सा./3), जो कुम्हलौरी का निवासी है, ने अपने बयान में कहा है कि आषाढ़ महीने में, मोखाली गांव की एक महिला घायल अवस्था में उसकी दुकान पर आई थी। जब आरोपी को लाया गया तो उस महिला ने आरोपी की पहचान की और कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके शरीर पर चोटें पहुंचाई थीं। उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयान से मिलान कराया गया। निश्चित रूप से, प्रदर्श डी./1 में यह विस्तार से नहीं कहा गया है कि आरोपी को लाया गया और पीड़िता ने उसकी पहचान की, लेकिन उस बयान में विशेष रूप से उल्लेख है कि आरोपी इंद्रावती बाई को गर्भपात के लिए ले जा रहा था और रास्ते

में नाले के पास उस पर हमला किया। मुख्य तथ्यों में कोई विरोधाभास नहीं है और प्रतिपरिक्षण में भी उसकी बातों को अविश्वसनीय साबित करने के लिए कुछ ठोस नहीं लाया गया है।

10) प्रेमबाई (अ. सा./8) ने अपने बयान में कहा है कि इंद्रावती बाई घायल अवस्था में उसके गांव कुम्हलौरी आई थी और उसकी चोटों से खून बह रहा था। इंद्रावती बाई ने उसे बताया कि उसके गांव मोखाली के एक आदमी ने, जब वह उसे साइकिल से गांव बोदेना ले जा रहा था, नाले के पास लोहे की कील से उस पर हमला किया। हालांकि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयान से मिलान कराया गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं पाया गया और शेष प्रति परीक्षण में भी उसकी बातों को अविश्वसनीय साबित करने के लिए कुछ नहीं लाया गया।

11) प्रदर्श पी./5 वह प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसे इंद्रावती बाई (अ.सा./7) द्वारा दर्ज कराया गया था और इसे इंद्रावती बाई (अ.सा./7) एवं जी.पी. मिश्रा (अ.सा./9) द्वारा सिद्ध किया गया है। यह रिपोर्ट घटना के तीन घंटे के भीतर दर्ज कराई गई थी और यह रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध की गई थी, जिसमें इंद्रावती बाई ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि आरोपी ने नुकीले हथियार से उसके सीने और हाथ के आगे एवं पीछे के भाग पर विभिन्न चोटें पहुंचाई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) प्रदर्श पी./6-ए, चिकित्सा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि घटना के तुरंत बाद इंद्रावती बाई का परीक्षण किया गया, जिनके सीने के आगे और पीछे के हिस्से पर कई घोंपने के घाव थे। इंद्रावती बाई की मौखिक गवाही, जो सुखीतराम (अ.सा./3) और प्रेमबती (अ.सा./8) के बयान से तथा दस्तावेजों, जैसे प्रदर्श पी./5, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी./6-ए, चिकित्सा रिपोर्ट और डॉ. एस.के. अग्रवाल (अ.सा./10) के चिकित्सकीय साक्ष्य से पूरी तरह पुष्ट होती है, से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि इंद्रावती बाई के शरीर पर पाई गई सभी चोटें आरोपी द्वारा ही पहुंचाई गई थीं।

13) प्रदर्श पी./1 अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन है और प्रदर्श पी./2 वह जप्ती पंचनामा है जिसके माध्यम से अभियुक्त से एक लोहे की छड़ जप्त की गई है। चैंन सिंह (अ.सा./4) और दसरूराम (अ.सा./5) की मौखिक गवाही से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने इन व्यक्तियों और पुलिस अधिकारियों को ढोडगा के पास झाड़ियों में ले जाकर एक लोहे की छड़ बरामद करवाई और जप्त की गई। प्रदर्श पी./1 और प्रदर्श पी./2 को चैंन सिंह (अ.सा./4), दसरूराम (अ.सा./5) और जी.पी. मिश्रा (अ.सा./9) की गवाही से प्रमाणित किया गया है। जी.पी. मिश्रा (अ.सा./9)

ने यह भी बयान दिया कि जप्ती के बाद उक्त लोहे की छड़ को पत्र, प्रदर्श पी/9 के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी को राय हेतु भेजा गया। डॉ. एस.के. अग्रवाल (अ.सा./10) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने लोहे की छड़ का परीक्षण किया और यह राय दी कि इंद्रावती बाई के शरीर पर पाई गई चोटें इस हथियार से आ सकती हैं। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी./9**A** है। यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के कथन के आधार पर एक छोर नुकीली लोहे की छड़ जप्त की गई थी और परीक्षण में चिकित्सा अधिकारी ने यह राय दी कि इंद्रावती बाई के शरीर पर पाई गई चोटें इसी से आ सकती हैं। अतः यह स्थापित होता है कि चोटें एक छोर नुकीली लोहे की छड़ से पहुंचाई गई हैं।

14) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात यह माना कि डॉ. एस.के. अग्रवाल (अ.सा./10) द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट (अनु.प्र./6-ए) में वर्णित सभी चोटें, जो इंद्रावती बाई के शरीर पर पाई गई थीं, लोहे की छड़ से पहुंचाई गई थीं, जिसे आरोपी के बताने पर बरामद कर जब्त किया गया था। विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर कि चोटों की गहराई मापी नहीं गई है और चिकित्सा अधिकारी चोटों की प्रकृति एवं उनकी गंभीरता के संबंध में कोई राय देने में असफल रहे, आरोपी को केवल स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य बनाम काशीराव एवं अन्य, एआईआर 2003 एससी 3901 तथा परसुराम पांडेय बनाम बिहार राज्य, (2005) सुप्रीम कोर्ट केसेज़ (क्रि.) 113** में धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। राज्य बनाम महाराष्ट्र (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैरा 20 का सुसंगत अंश निम्नानुसार उद्धृत है:

> 20. धारा 307 के तहत अपराध के मामले में सिद्ध किए जाने वाले आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं;
>
> **(i)** कि किसी मानव की मृत्यु का प्रयास किया गया;
>
> **(ii)** कि ऐसी मृत्यु का प्रयास अभियुक्त के कृत्य द्वारा या उसके परिणामस्वरूप किया गया;
>
> **(iii)** कि ऐसा कृत्य इस आशय से किया गया कि ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाई जाए: **(a)** जिसे अभियुक्त जानता था कि मृत्यु होने की संभावना है; या **(b)** जो सामान्य

परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त हो, या अभियुक्त ने मृत्यु का प्रयास इस प्रकार के कृत्य से किया जिसे वह जानता था कि वह अत्यंत खतरनाक है और उससे (**a**) मृत्यु, या (**b**) ऐसी शारीरिक चोट होने की पूरी संभावना है जिससे मृत्यु हो सकती है, अभियुक्त के पास ऐसी मृत्यु या चोट का जोखिम उठाने का कोई औचित्य नहीं था।

16) **परशुराम पांडे** (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैरा 15 का सुसंगत अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"15. धारा 307 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अपराध के दो तत्वों का होना आवश्यक है:

(क) हत्या करने का आशय या उससे संबंधित ज्ञान, और

(ख) उसके लिए कोई कृत्य करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 307 के प्रयोजनार्थ, जो महत्वपूर्ण है वह आशय या ज्ञान है, न कि उस कृत्य के वास्तविक परिणाम जो आशय को पूरा करने के लिए किया गया हो। यह धारा स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्य की परिकल्पना करती है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, लेकिन हस्तक्षेपकारी परिस्थितियों के कारण इच्छित परिणाम नहीं ला पाता। अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जैसा कि हत्या घटित करने के लिए आवश्यक है। यदि आशय या ज्ञान, जो कि धारा 307 का आवश्यक तत्व है, अनुपस्थित है, तो 'हत्या के प्रयास' का कोई अपराध नहीं बनता। आशय , जो कि एक मानसिक अवस्था है, उसे सटीक प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि अन्य तथ्यों से ही पहचाना या अनुमानित किया जा सकता है। कुछ प्रासंगिक विचार निम्नलिखित हो सकते हैं: प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, चोटें कहाँ और कैसी लगीं, तथा घटना किन परिस्थितियों में हुई।"

17) वर्तमान मामले में, आरोपी ने नुकीली लोहे की छड़, अर्थात् 1 ¼ फीट की छड़ से इंद्रावती बाई के सीने के सामने और पीछे के हिस्से में वार किए, जो कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रयुक्त हथियार से स्पष्ट है कि यदि मानव के महत्वपूर्ण अंगों पर ऐसी चोट पहुँचाई जाए, तो मृत्यु हो सकती है। आरोपी ने केवल एक ही वार नहीं किया, बल्कि कई बार घोंपा और उन चोटों में से छाती के सामने के हिस्से तीन चोंटे थीं। यह भी स्पष्ट है कि जब आरोपी ने इंद्रावती बाई को घोंपा और वह बचाव के लिए चिल्लाई, तब आरोपी उसे छोड़कर भाग गया, अन्यथा यह स्पष्ट था कि आरोपी उसे मौके पर जीवित नहीं छोड़ता। चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. अग्रवाल (अ.सा./10) की गवाही से स्पष्ट होता है कि चोटें गहरी थीं, इसलिए उन्हें केवल शल्य चिकित्सा उपकरणों से ही मापा जा सकता था और चोट की गहराई मापना मरीज के लिए खतरनाक हो सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्रावती बाई को जो घोंपने की चोटें आईं, वे जानलेवा थीं। भा.द.वि. की धारा 307 के अधीन अपराध में केवल चोट या उसकी प्रकृति ही एकमात्र कारक नहीं है, बल्कि कई कारकों जैसे परिस्थितियाँ, चोट की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार, हस्तक्षेप आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ, वर्तमान मामले में, यह स्थापित होता है कि रास्ते में आरोपी ने उसे नीचे गिरा दिया, उसके बाद आरोपी, जो अपने साथ हथियार लिए हुए था, ने इंद्रावती बाई के शरीर में बेरहमी से वार किया और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर कई बार हमला किया। जब पीड़िता ने बचाव के लिए आवाज उठाई, तो आरोपी वहाँ से भाग गया। ये सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से आरोपी की हत्या करने के आशय को दर्शाती हैं और जब इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखा जाए, तो यह स्थापित होता है कि आरोपी ने इंद्रावती बाई की हत्या का प्रयास किया और यह केवल इंद्रावती बाई को स्वेच्छा से साधारण उपहति कारित करने का मामला नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) उपरोक्त कारणों के आधार पर और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारा मत है कि आरोपी द्वारा पेश की गई अपील निराधार है असफल होती है, जबकि राज्य द्वारा दायर की गई अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः, हम आरोपी मौजूराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी मानते हैं। आरोपी को उस पर लगाए जाने वाले दंड के संबंध में सुनवाई के लिए, इस स्तर पर निर्णय को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही /-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

सही /-
वि. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

थोड़ी देर बाद

दंड पर सुना गया ।

यद्यपि अभियुक्त प्रथम अपराधी है और अपील भी पुरानी है, लेकिन ये तथ्य उस अभियुक्त के प्रति कोई नरमी दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसने एक महिला के सीने पर नुकीले हथियार से बेरहमी से चोट पहुँचाई।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत पाँच वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,000/- जुर्माना, और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में पाँच माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंड दिया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अनुसार मुजरा की अनुमति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश
17/11/2005

सही /-
वि. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश
17/11/2005

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा . समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागु किये जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी.**

Translated By : Jay Kumar Dahariya, Advocate